

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु. नं. 75/16 तारीख 2 जू 20-7-16

उगवान भागमल बनाम रेवमचन्द्र कौ-
दावा बाबत स्थाई निवेद्याज्ञा -

वादी की ओर से सुनील कुमार जिन्दल A.W. ने
दावा बाबत स्थाई निवेद्याज्ञा पेश किया गया। जमाबन्दी
का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज क्रिस्टल कर
प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब कर
पत्रावली दिनांक 10-8-16 को पेश हो।

1954-58
20/7/16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कटौली)

10.8.16

वादी वकील उप० / प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री
मनोज कुमार शर्मा A.W. ने वकालतनामा पेश कर
वादपत्र की उति प्राप्त नहीं होने तथा प्रतिवादी नं. 1
रेवमचंद्र का शुद्ध नाम हेमचंद्र होना बताया। प्रतिवादी
नं. 3, 4, 5 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए थे। वादी
वकील सम्मन तलवाना, नाम शुद्ध करने दा. पेश करे।
तथा प्रतिवादी वकील को वादपत्र की उति देवे। आदेश
दिनांक 14.9.16 को पेश हो।

9/16

वादी वकील उपसभार / गालगुलाट दिनांक
17-10-16 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
17 ¹⁰ / ₁₆	वादी वकील उपस्थित / गलानुसार दिनांक 16-11-16 को पेश हो।
16 ¹¹ / ₁₆	वादी वकील उपस्थित / वाले लखी दिनांक 16-12-16 को पेश हो।
8-12-16	वकुलाय उप/ वाले लखी एवं जबाब हेतु दिनांक 17-12-16 को पेश हो।
17-1-17	वकुलाय उपस्थित / वाले लखी उप/ गवाय दिनांक 22-2-17 को पेश हो।
22-2-17	वकुलाय उपस्थित / गलानुसार दिनांक 27-3-17 को पेश हो।
27-3-17	वकुलाय उप/ वाली वकील को लखना व उलियादी वकील को जबाब करा फेरे की रिपोर्ट की दिनांक 19-4-17 को पेश हो।
19-4-17	पत्रावली पेश हुई / वादी वकील उपस्थित नहीं / उलियादी वकील उप/ फर्द आ/ आषाज दिलाई गई / फिलहाल वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरल सुमए होकर नामावली कम होकर दाखिल दफ्त हो।

उप जिला कलेक्टर